भारतीय खेल प्राधिकरण
नराकास सचिवालय
दक्षिण दिल्ली – 2

फा.सं : भाखेप्रा/नराकास/3093/2026-27/762 दिनांक : 14.08.2026

सेवा में,

कार्यालय प्रमुख,
रक्षा संपदा अधिकारी,
दिल्ली मण्डल, दिल्ली छावनी,
नई दिल्ली – 110010

विषय : 01 अक्टूबर,2025 से 31 मार्च, 2026 तक की छमाही रिपोर्ट – समीक्षा।

महोदय/महोदया,

कृपया अपने कार्यालय से प्राप्त छमाही प्रगति रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दक्षिण दिल्ली – 2 का अध्यक्ष कार्यालय होने के नाते आपके कार्यालय से प्राप्त उपरोक्त अवधि की रिपोर्ट की समीक्षा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है :

1. **रिपोर्ट की मद संख्या 1** के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आपके कार्यालय से सभी 48 प्रलेखों में से 42 प्रलेख द्विभाषीय रूप में निर्गत किए गए तथा 06 प्रलेखों का विवरण नहीं है। आपके द्वारा दर्शाये गए आकड़ें अपूर्ण है। यह राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन है जो की आपत्तिजनक है। आपसे अनुरोध है कि जो भी धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले प्रलेख़ अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में निर्गत करें।
2. **रिपोर्ट की मद संख्या 2** में राजभाषा नियम 5 के अनुसार कार्यालय में प्राप्त हुए 103 हिन्दी पत्रों में से 76 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया है। 10 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है। 17 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। चूंकि आपका कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। अतः कार्यालय में राजभाषा नियम-5 का पूर्ण अनुपालन करते हुए सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना सुनिश्चित करें तथा उत्तर नहीं दिए जाने वाले अपेक्षित पत्रों की पावती भेजें।
3. **रिपोर्ट की मद संख्या 3** के अनुसार 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से प्राप्त हुए क्रमश: 238 एवं 148 कुल पत्रों में से 200 और 121 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया है और 07 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है जबकि 31 एवं 20 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। चूंकि आपका कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। अतः सभी अंग्रेजी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना सुनिश्चित करें तथा उत्तर नहीं दिए जाने वाले अपेक्षित पत्रों की पावती भेजे।
4. **रिपोर्ट की मद संख्या 4** के अनुसार आपके कार्यालय से 'क' क्षेत्र के साथ 94.86% और 'ख' क्षेत्र के साथ 92.88% पत्र व्यवहार हिन्दी में किया गया है। चूंकि आपका कार्यालय 'क' क्षेत्र में

स्थित है इसीलिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की अनुपालना में मूल पत्राचार शत प्रतिशत हिन्दी में होना अनिवार्य है। आवशयक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

5. **रिपोर्ट की मद संख्या 5** के अनुसार आपके कार्यालय से 501 टिप्पणियों में से 407 टिप्पणियाँ हिन्दी में तथा 94 टिप्पणियाँ अंग्रेजी में लिखी गई है। जो राजभाषा प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत वार्षिक कार्यक्रम के 80 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जो कि सराहनीय है। आपसे अपेक्षा है कि भविष्य में इसमें बढ़ोतरी कर शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करेंगे।
6. आपके कार्यालय द्वारा इस अवधि के दौरान 02 हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशालाओं में प्रशिक्षित 11 कार्मिकों को हिन्दी राजभाषा प्रयोग में अभ्यस्त रखने के उद्देश्य से उनसे हिन्दी पत्राचार का कार्य लिया जाना सुनिश्चित करें जिससे राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिले।
7. आपके कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठको का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निर्गत किए गए कार्यवृत्त की प्रति भी इस कार्यालय को भी भेजने का कृपा करें।

अनुरोध है कि कार्यालयों में राजभाषा नीति कार्यान्वयन की दृष्टि से की गई समीक्षा के संदर्भ में आपके कार्यालय स्तर पर की गई सकारात्मक कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करवाएं।

इसे सक्षम प्राधिकारी, भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

सादर,

(डॉ. गीता पाराशर)
निदेशक/प्रभारी (राजभाषा)

फा.सं : भाखेप्रा/नराकास/3093/2026-27 दिनांक :14.08.2026

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक, भाखेप्रा का कार्यालय
2. सचिव, भाखेप्रा का कार्यालय
3. कार्यकारी निदेशक (राजभाषा)
4. सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, त्रिकुट – II, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली – 110066
5. मास्टर फाइल

(डॉ. गीता पाराशर)
निदेशक/प्रभारी (राजभाषा)